अध्याय-18

वानिकी सांख्यिकी

वानिकी निवेश तथा विकास कार्यक्रमों पर योजना, नीति विश्लेषण तथा निर्णय लेने के लिए विभिन्न अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय वानिकी सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी की आवश्यकता कार्यक्रमों एवं नीति के प्रभाव के मूल्यांकन तथा निरीक्षण के लिए भी होती है। इस सूचना को एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए वानिकी अनुसांधन, शिक्षा एवं विस्तार परियोजना (फ्रीप) के अन्तर्गत भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून में सांख्यिकीय निदेशालय सृजित किया गया। सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य इस प्रकार हैं :

- एकत्रित किए जाने वाले प्रारम्भिक एवं द्वितीयक वानिकी आँकड़ों की पहचान करना तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ सहमत होना।
- प्रारम्भिक तथा द्वितीय आँकडों को एकत्र करने वाले सम्बद्ध अभिकरणों के साथ सम्पर्क करना।
- आँकड़े एकत्र करना, मिलान करना तथा सहमत हुए आँकड़ों का विश्लेषण करना।
- आँकड़े की विश्वसनीयता की जांच करना।
- यथोचित समय पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अथवा अन्य प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं को वांछित आँकड़े उपलब्ध कराना।

भारत की वानिकी सांख्यिकी

सांख्यिकी निदेशालय विभिन्न अभिकरणों से वन एवं वनों पर दबाव विषय पर आँकड़े एकत्र कर रहा है। आँकड़े एकत्र करने के लिए दो तरफा पहुंच अपनायी गई। अभिकल्पित प्रारूप विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों और/अथवा विभिन्न अभिकरणों को भेजे गये। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में कार्यरत परिषद्

के विभिन्न संस्थानों को प्रारूप भेजे गये। अधिकांश मामलों, में राज्यों/संघो क्षेत्रों से प्रारूपों के दो सेट प्राप्त हुए, जिनका बाद में आँकड़ों के मान्यकरण के लिए उपयोग किया गया।

इस बीच निदेशालय में ऐसे कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को अन्तिम रूप देने के प्रसास किए गए जिसमें आँकड़े भण्डारित होने चाहिए। आँकड़ों की मात्रा, विभिन्न किस्मों और उपलब्ध कर्मचारियों की क्षमता को देखते हुए, इलेक्ट्रानिक स्प्रेडशीट (एम.एस.एक्सल) उपयोग करने का फैसला किया गया, जिसमें कर्मचारी आंकड़ा आधार सृजन के लिए जानकार थे।

एकत्रित आँकड़ों की फार्मों में प्रविष्टि की गई और सारणियां तैयार की गई, जो ग्राहकों और उपभोक्ता एजेन्सियों के लिए उपयोगी होंगी। आँकड़ों को वानिकी के विभिन्न पहलुओं पर सत्रह अध्यायों में दिया गया।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् ने निम्नानुसार ''फॉरेस्ट्री स्टैटिस्टिक्स इण्डिया'' के तीन संस्करण प्रकाशित किए :

(क) फॉरेस्ट्री स्टैटिस्टिक्स इण्डिया - 1995

फॉरेस्ट्री स्टैटिस्टिक्स इण्डिया - 1995 का प्रकाशन 1996 में किया गया।

(ख) फॉरेस्ट्री स्टैटिस्टिक्स इण्डिया 1988-94

फॉरेस्ट्री स्टैटिस्टिक्स इण्डिया 1988-94 का प्रकाशन 1997 में किया गया।

(ग) फॉरेस्ट्री स्टैटिस्टिक्स इण्डिया 1996

इस खण्ड में वन प्रबंध और वन अपराधों पर दो अतिरिक्त अध्याय जोड़े गये।
फॉरेस्ट्री स्टैटिस्टिक्स इण्डिया 1996 का प्रकाशन 1999 में किया गया।

(घ) फॉरेस्ट्री स्टैटिस्टिक्स इण्डिया 2000

(आँकड़ा अवधि 1997-98 और 1998-99)

परिषद् ने अब द्विवार्षिक रूप से सांख्यिकी सूचना प्रकाशित करने के लिए नीतिगत फैसला लिया है और 1.4.1997 से 31.3.1998 एवं 1.4.1998 से 31.3.1999 तक की आँकड़ा अवधि के लिए पहला द्विवार्षिक संस्करण मुद्रण अवस्था में हैं।

(ङ) फॉरेस्ट्री स्टैटिस्टिक्स इण्डिया 2001
(आँकड़ा अवधि 1999-2000 और 2000-2001)

वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए राज्य वन विभागों से सांख्यिकीय सूचना एकत्र करने के लिए सभी राज्य वन विभागों और परिषद् के संस्थानों/केन्द्रों के लिए आँकड़ा संग्रहण फार्म भेज दिए गए हैं।

प्रकाष्ठ/बांस व्यापार बुलेटिन

वन से काटी गयी प्रजातियों से संबंधित प्रकाष्ठ और अन्य उत्पादों की खुले बाजार में कीमतें, खड़ी फसलों उत्काष्ठन लागत, परिवहन एवं चिराई लागत, उपरिव्यय, बाजार की अवस्थिति एवं अन्य कारकों के लिए, पट्टेदरों द्वारा भुगतान की गई राशि पर निर्भर करती हैं। प्रकाष्ठ, बांस और ईधन काष्ठ के लिए कीमत प्रक्रिया फार्म वानिकी संक्रियाओं से इस उत्पाद के विदोहन पर भी निर्भर है। कीमतें अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग होती हैं, जो मांग और आपूर्ति, लघु उद्योगों की अवस्थिति और वन उत्पाद के विपणन पर सरकारी नीति पर निर्भर करती हैं। देश भर में विभिन्न बाज़ारों में अपनाए गए वर्णीकरण वन उत्पाद के विशिष्ट उपयोग के कारण भिन्न थे। विश्व बैंक फ्री परियोजना के अन्तर्गत, एक तिमाही प्रकाष्ठ/बांस व्यापार बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है, जिसमें देश भर में फैले 19 बाजार केन्द्रों में महत्वपूर्ण वानिकी प्रजातियों की कीमतों पर सूचनायें दी जाती है। इस निदेशालय ने दिसम्बर, 1994 के पहले संस्करण से प्रारम्भ करके सितम्बर, 1999 के अन्तिम संस्करण तक अब तक कुल 20 बुलेटिन प्रकाशित किए हैं। शेष बुलेटिनों, यथा- दिसम्बर, 1999 और मार्च, 2000 को परिषद् वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है।

जीव सांख्यिकी सहायता

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के विभिन्न संस्थानों की 93 (तिरानवे) अनुसंधान परियोजनाओं को जीव सांख्यिकीय सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों और केन्द्रों यथा-बंगलौर, कोयम्बटूर, देहरादून, जबलपुर, जोधपुर, जोरहाट, रांची, शिमला, इलाहाबाद, छिंदवाड़ा और हैदराबाद, के वैज्ञानिकों को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई गई। सांख्यिकीय निदेशालय मांगे जाने पर इस प्रकार की सहायता लगातार उपलब्ध कराता रहेगा।

सांख्यिकीय शिक्षा सहायता

इसके अलावा, सांख्यिकी निदेशालय के विशेषज्ञ सम विश्वविद्यालय व.अ.सं. के विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों को सांख्यिकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।